| Date of Order or Proceeding | Order or Proceeding with Signature of Presiding officer | Signature of Parties or Pleaders where necessa |
|---|---|---|
| 02-05-2023 | **न्यायालयः–द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–01**<br>**धमतरी, जिला धमतरी छ0ग0।**<br>व्यवहार वाद प्रकरण क0 57ए/22<br>अंकित सिन्हा बनाम शोभित राम उर्फ महेत्तर वगैरह<br>पंजीयन दिनांक 13.09.2022<br>..........................................................................................................<br>वादीगण द्वारा श्री अमरचंद जैन अधिवक्ता उपस्थित।<br>प्रतिवादी क0 01 द्वारा श्री सुनील सोलंके अधिवक्ता उपस्थित।<br>प्रतिवादी क0 02 से 05 पूर्व से एकपक्षीय।<br>प्रकरण आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 01, 02 सहपठित धारा 151 व्य.प्र.सं. आई.ए. नंबर 01/23 पर तर्क हेतु नियत है।<br>इसी स्तर पर प्रकरण का अवलोकन किया गया।<br>प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि दिनांक 09.09.2022 को यह वाद अंश की घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं प्राप्त अंश में पृथक–पृथक आधिपत्य एवं अपने अंश के कब्जे हेतु प्रस्तुत किया गया है। माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी के प्रभावशील कार्यविभाजन आदेश क0 क/एक–11–02/2018 धमतरी दिनांक 14.07. 2022 के अनुसार विशिष्ट अनुतोष अधिनियम ( जिला न्यायाधीश धमतरी के न्यायालय के मामलों को छोंड़कर) के सभी मामले की सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–01 को प्राप्त है। इस कारण यह प्रकरण इस न्यायालय की सुनवाई क्षेत्राधिकार से बाहर है किन्तु त्रुटिपूर्ण यह प्रकरण इस न्यायालय में पंजीयन हो गया है। | |

| Date of Order or Proceeding | Order or Proceeding with Signature of Presiding officer | Signature of Parties or Pleaders where necessa |
|---|---|---|
| | चुंकि यह दावा विशिष्ट अनुतोष अधिनियम से संबंधित है, ऐसी परिस्थिति में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी के प्रभावशील कार्यविभाजन आदेश क्र0 क/एक–11–02/2018 धमतरी दिनांक 14.07.2022 के अनुसार यह दावा इस न्यायालय की सुनवाई क्षेत्राधिकार में ना होने से, संबंधित क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वादी को मूलतः संलग्न आवेदन एवं दस्तावेजों सहित व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 07 नियम 10 के तहत वापस किया जावे एवं वादी से आदेश पत्रिका में पावती ली जावे।<br><br>दावा की एक प्रति सुलभ–संदर्भ हेतु इस आदेश पत्रिका के साथ संलग्न रहने दिया जाये।<br><br>यह आदेश पत्रिका मंथली बंडल के साथ अभिलेखागार भेजा जावे।<br><br>सही/–<br>( सीमा प्रताप चन्द्रा )<br>द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1,<br>धमतरी (छ.ग.) | |